

रामवतार काम निरज कुमार वर्मा

कालिका हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


सजा

सु.न. - 179/2017

नम्बर या
अहकाम
हुक्म की
वै. जा

23.01.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने बाबत दिनांक 07.12.2017 से लगातार 28 अवसर दिए जाने के उपरांत भी वकील वादी व पक्षकार द्वारा कोई सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। अतः न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने के कारण वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


23/01/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

